www.newsjobmp.com

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 1205968—2023—बी—4—दो भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में -

1. नियम 2 में, -

(1) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(खक)" आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा **संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई, 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;".**

(2) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(घ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा;".

(3) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ट) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण।"।

2. नियम 6 में, -

(1) उप-नियम (6) के खंड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(एक) अभ्यर्थी को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयताओं का उल्लेख करना होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर, जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों, उप निरीक्षक (रेडियो)/(अंगुलचिह्न)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज)/(फोटो) आर्म पर भर्ती के लिये अपनी सहमति अभिव्यक्त की है तथा जो अनुसूची-तीन में उल्लिखित अर्हताएं रखते हों, केवल तकनीकी पदों पर विचार किया जाएगा:

परंतु उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल), उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) और उप-निरीक्षक (विशेष शाखा) के गैर-तकनीकि समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित तकनीकि पदों के समूहों में से केवल एक के लिए आवेदन कर सकता है :

(क) उप निरीक्षक(रेडियो)
(ख) उप निरीक्षक(आयुध)
(ग) उप निरीक्षक(फोटो/प्रश्नाधीन दस्तावेज/अंगुल चिह्न)

(2) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(8) उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

" (एक) शारीरिक माप का मान"- अभ्यार्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उप-नियम(2) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा।

" टिप्पणी - शारीरिक माप के संबंध में किसी भी विवाद की दशा में उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अपील संभाग स्तरीय चिकित्सा बोर्ड को अग्रेषित की जा सकेगी। दोनो मेडिकल बोर्ड के परीक्षण में भिन्नता होने पर राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अपील की जा सकेगी. अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा"।

" (दो) लिखित परीक्षा -

(क) बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी. प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी तथा निम्नलिखित विषयों में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे:

(एक) हिंदी भाषायी बोध;
(दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;
(तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;
(चार) इतिहास;
(पाँच) भूगोल;
(छः) विज्ञान;
(सात) नागरिक शास्त्र;
(आठ) बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान;
(नौ) तर्कशक्ति;
(दस) करेंट अफ़ेयर्स.

www.newsjobmp.com
www.newsjobmp.com
www.newsjobmp.com

(ख) मुख्य लिखित परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद :-

(एक) मुख्य परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी (जैसा कि अनुसूची चार क में विनिर्दिष्ट है);

(दो) प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.

(ग) तकनीकी परीक्षा: प्रारम्भिक परीक्षा में चयन के बाद, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ-साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी:-

(एक) मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकि परीक्षा, आयोजित की जाएगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी;

(दो) जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दष्ट उप निरीक्षक (अंगुली चिह्न/प्रश्नवाचक दस्तावेज/फ़ोटो) के लिए आवेदन किया है उनकी एक सत्र में तकनीकि परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी एवं रसायन विषयों में विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा;

(तीन) जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दष्ट उप निरीक्षक (रेडियो) के लिए आवेदन किया है उनकी और एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा;

(चार) जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दष्ट उप निरीक्षक (आयुध) के लिए आवेदन किया है उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा।

"टिप्पणी- खंड (दो) के उपखंड (ग) के अधीन प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है।

प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, गैर-तकनीकी पदों [सूबेदार, उप-निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल/ जिला कार्यपालिक बल/विशेष शाखा)] के लिए तथा तकनीकी पदों (उप-निरीक्षक-रेडियो/ फिंगरप्रिंट/प्रश्नवाचक दस्तावेज/ फोटो/ आयुध) के लिए, पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS). द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. अनारक्षित महिलाओं एवं पुरुषों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ़ अंक से सदैव कम होंगे।

अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए

www.newsjobmp.com

हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा. प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ़ अंक केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जारी किए जाएँगे. हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ़ अंक नहीं होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ाइल समिति के पास रखी जाएगी।

चूँकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु दस गुनी संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी।"।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षण- यह परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है. यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी-

(क) 800 मीटर दौड़	40 अंक
(ख) लंबी कूद	30 अंक
(ग) गोला फेंक	30 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिए दिए जाने वाले अंकों के विस्तृत विवरण अनुसूची पाँच में विनिर्दिष्ट किए गए हैं."

(चार) द्वितीय चरण की मुख्य और तकनीकी परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, गैर-तकनीकी पदों [सूबेदार, उप-निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल/ जिला कार्यपालिक बल/ विशेष शाखा)] के लिए तथा तकनीकी पदों (उप-निरीक्षक- रेडियो/ फिंगरप्रिंट/ प्रश्नवाचक दस्तावेज/ फोटो/ आयुध) के लिए, पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियां तैयार की जाएंगी जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अंन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जन-जाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

www.newsjobmp.com

अनारक्षित महिलाओं एवं पुरूषों में अन्य पिछडा वर्ग (OBC) अनुसूचित जन-जाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी और उसकी सम्बंधित हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी और उसकी हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक से सदैव कम होंगे।

अंतिम अभ्यर्थी पर जहॉ तक तीन गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अंतिम अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हो, नियत की तीन गुना से बढ़ी हुई संख्या को विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में वर्टिकल और उनकी सम्बंधित हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ अंक होंगे.

मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर मुख्य और तकनीकी परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रटेक्टेड फ़ाइल समिति के पास रखी जाएगी।

चूॅकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों के लिए अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए तकनीकी पदों की सूची के लिए भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु तीन गुनी संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी।"।

साक्षात्कार:- समिति द्वारा द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं, व्यक्तित्व साक्षात्कार लिया जाएगा। व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा।"।

3. नियम 8 में, -

(1) उप-नियम (1) में,-

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -

"(क) उसने सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक सी 3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एवं समय-समय पर जारी संशोधन, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो, और विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूरी न की हो।"।

www.newsjobmp.com

(ख) खण्ड (ग) में,-

(एक) उपखंड (एक) में, अंक तथा शब्द "36 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "38 वर्ष" स्थापित किए जाएं ;

(दो) खण्ड (दो) में, अंक और शब्द, "36 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "38 वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्: -

(चार) वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ ले कर किसी शासकीय सेवा में न हो।"।

(ग) खंड (घ) का लोप किया जाए;

(घ खंड (ङ) का लोप किया जाए;

(ङ.) खंड (ज) में, अंक तथा शब्द "36 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "38 वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(च) खंड (झ) में, अंक तथा शब्द "36 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "38 वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(छ) खंड (झ) में, टिप्पणी (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्: -

"(3) खंड (च) या (छ) में यथावर्णित छूट प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गयी है किसी अभ्यर्थी के पास यदि प्रोत्साहन में दिए अनुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लिए एक से अधिक आधार हैं. तो जो उसे उच्चतर आयु सीमा में सर्वोच्च लाभ देता है किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध यह शिथिलीकरण, उपखंड (ग), (ज) तथा (झ) में उपलब्ध शिथिलीकरण के अतिरिक्त होगा. सभी वर्गों में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"।

(2) उप-नियम (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ग) अनुसूची तीन में दर्शाई गई विहित शैक्षणिक अर्हताओं को समाविष्ट करते हुए उच्चतर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी, परीक्षा/चयन के लिए पात्र होंगे।"।

4. नियम 11 में, -

(1) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य

www.newsjobmp.com

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।"।

(2) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए विचार उसी क्रम से किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।"।

(3) उप नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें शासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उप-नियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।"।

(4) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(7) महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% आरक्षण होरिजोंटल एवं कंपार्टमेंट- वाइज होगा। यदि चयन सूची में 35% महिलाएँ मेरिट के आधार पर चयन सूची में जगह पाती हैं, तो और अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित पद अग्रनीत नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में, ये पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरें जाएँगे।"।

5. नियम 12 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) समिति, अपने द्वारा निश्चित किए गए, स्तर के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियूक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूची को प्रकाशित भी किया जाएगा।"।

www.newsjobmp.com

6. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"13. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.-

(1) सीधी भर्ती के गैर तकनीकि पदों के लिए अंतिम प्रावीण्य सूची, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। महिलाओं और पुरुषों में भी अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हैं। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी और उसकी सम्बंधित क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों के कटऑफ अंक, अनारक्षित श्रेणी और उसकी सम्बंधित क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों के कट ऑफ़ अंक से सदैव कम-होंगे:

परंतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त किए हों।"।

(2) सीधी भर्ती के तकनीकी पदों के लिए अंतिम प्रावीण्य सूची, मुख्य परीक्षा, नियम 6 के खंड (दो) के उप-खंड (ग) में यथा उल्लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी:

परंतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त किए हों।"।

7. नियम 14 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार तीन वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा।"।

8. नियम 16 में,-

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को, उन पदों पर, जिन से पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी रूप से-सीधी भर्ती वालों की नियुक्ति दिनांक से अथवा शेष की पदोन्नति दिनांक से, पूर्ण कर ली हो, जितनी कि अनुसूची- चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों।"।

(2) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोडा जाए, अर्थात्:-

www.newsjobmp.com

"(3) उप-निरीक्षक (ज़िला कार्यपालिक बल) एवं उप-निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) पदों के लिए, नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन भर्ती किए गए अभ्यर्थी, निरीक्षक रैंक में उनकी अगली पदोन्नति के लिए, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में दो वर्षों की अवधि की सेवा करने के पश्चात् ही पात्र होंगे। ऐसी अवधि के लिए, अनुपस्थिति अथवा अवकाश की अवधि को अलग करते हुए केवल सक्रिय- सेवा दिवसों की ही गणना की जाएगी"।

9. विद्‌यमान अनुसूची तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची - तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की योग्यता

सेवा का नाम	**अनुक्रमांक**	**पद का नाम**	**विहित शैक्षणिक अर्हता**	**टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विभाग मध्यप्रदेश पुलिस (अराजपत्रित सेवा)	1	सूबेदार	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य	
तदैव	2	उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल) (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	-तदैव-	
-तदैव-	3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	-तदैव-	
तदैव	4	उप निरीक्षक (रेडियो)	शासन द्‌वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्‌यालय से इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल/ दूरसंचार/ सूचना प्रौद्‌योगिकी/ कम्प्यूटर साइन्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्‌यक्रम	
तदैव	5	उप निरीक्षक (अंगुली चिह्न)	शासन द्‌वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य	

www.newsjobmp.com

तदैव	6	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	-तदैव-
तदैव	7	उप निरीक्षक (फोटो)	-तदैव-
तदैव	8	उप निरीक्षक (आयुध)	मान्यताप्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पत्रोपाधि डिप्लोमा
तदैव	9	उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

टिप्पणी:- शासन व्दारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष।

(1) किसी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल या दूरसंचार इंजीनीयरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर साइन्स में तीन वर्ष की पत्रोपाधि (डिप्लोमा) जो भारत सरकार या राज्य सरकार व्दारा मान्यता प्राप्त हो।

(2 शासन व्दारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इन विषयों में से किसी एक में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष।

(3) राज्य सरकार व्दारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष राज्य सरकार व्दारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष।

(4) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 2 खण्ड (क) के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए ऐसा भूतपूर्व सैनिक (जिस पद के अंतर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किया है) जिसने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र हो सकेगा जिसके लिए विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता स्नातक है।

www.newsjobmp.com

10. विद्यमान अनुसूची चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची - चार

(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु कालम (2) के पद पर न्यूनतम सेवा#	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह (पुलिस) विभाग	उप निरीक्षक(जिला कार्यपालिक बल)	निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल)	6 वर्ष सीधी भर्ती एवं नक्सलवादप्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट:- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक - **अध्यक्ष** उप महानिरीक्षक/ सहायक पुलिस महानिरीक्षक रैंक के दो सदस्य - **सदस्य**
तदैव	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	निरीक्षक (विशेष शाखा)	6 वर्ष सीधी भर्ती एवं नक्सलवादप्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	उप निरीक्षक (रेडियो)	निरीक्षक (रेडियो)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	उप निरीक्षक (अंगुली चिह्न)	निरीक्षक (अंगुली चिह्न)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव

www.newsjobmp.com

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु कालम (2) के पद पर न्यूनतम सेवा#	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तदैव	उप निरीक्षक (फोटो)	निरीक्षक (फोटो)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	उप निरीक्षक (आयुध)	निरीक्षक (आयुध)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	6 वर्ष सीधी भर्ती एवं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में 2 वर्ष की सेवा, 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
तदैव	सूबेदार	रक्षित निरीक्षक	6 वर्ष सीधी भर्ती एवं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा	तदैव
तदैव	सहायक उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल)	उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल)	3 वर्ष	तदैव
तदैव	सहायक उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	3 वर्ष	तदैव

न्यूनतम सेवा की गणना, यथास्थिति, सीधी भर्ती वालों के लिए नियुक्ति आदेश और शेष के लिए पदोन्नति आदेश दिनांक से की जाएगी।

www.newsjobmp.com

11. अनुसूची-चार के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची-चार क

[देखें नियम 6 (8) (एक) (ख)]

मुख्य परीक्षा

(1) प्रश्न पत्र योजना

प्रश्न पत्र प्रथम

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

दो खण्ड

प्रत्येक खण्ड (150 अंक प्रत्येक) का होगा :

(एक) प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

(दो) ग़लत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे।

प्रश्न पत्र द्वितीय

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

दो खण्ड

खण्ड क: (150 अंक) का होगा:

(एक) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

(दो) ग़लत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे।

खण्ड ख: (150 अंक) का होगा:

(एक) तर्कशक्ति और डाटा निर्वचन।

(दो) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

(तीन) ग़लत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे।

(चार) कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी।

www.newsjobmp.com

www.newsjobmp.com

(2) पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र - एक सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

इतिहास और भारतीय समाज (150 अंक)

(**एक**) भारतीय इतिहास – हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उप-महाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति-सूफ़ी परम्पराएँ, विजयनगर साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण।

(**दो**) स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन।

(**तीन**) भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

(**चार**) भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां।

(**पाँच**) महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्य मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

(छह) भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव।

भाग "ख"

शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान (150 अंक)

(एक) भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

(दो) संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां।

www.newsjobmp.com

(तीन) विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं।

(चार) संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कामकाज, कारबार का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इन से उद्भूति होने वाले मुद्दे।

(पाँच) कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज-सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका।

(छह) केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं एवं निकाय।

(सात) गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

प्रश्नपत्र - दो सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

(करेंट अफ़ेयर्स) प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा (150 अंक)

(एक) करेंट अफ़ेयर्स।

(दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इस का प्रभाव।

(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बॉयो-टेक्नोलॉजी, ऑर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

(चार) संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन।

(पाँच) भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

www.newsjobmp.com

(छह) नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, आंतरिक्ष जी आई एस, जी पी एस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग।

(सात) (परम्परागत और गैर परम्परागत और नवकरणीय ऊर्जा।

(आठ) लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका।

(नौ) विकास और उग्रवाद के बीच संबंध।

(दस) आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले बाहय राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका।

(ग्यारह) संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षाको चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

(बारह) बाहय एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे।

(तैरह) संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

भाग "ख"

तर्क एवं अंकों की व्याख्या (150 अंक)

(एक) आधार संख्याएं और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध), प्रायिकता।

(दो) आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि)। माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन।

(तीन) अनुपात और समानुपात, इकाई विधि।

(चार) लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्यि ब्याज।

(पाँच) क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन।

(छह) तार्किकशक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान।"।

www.newsjobmp.com

13. अनुसूची-पाँच के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची-पाँच

[देखें नियम 6 (8) (तीन)]

शारीरिक दक्षता परीक्षण – PPT

अंकों का वितरण

क. मानक मापदंड : गैर-तकनीकी पद

1. पुरुष –

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
0	198.3 से अधिक	2.96 से कम	3.83 से कम
1	198.3	2.96	3.83
2	196.4	3.05	4.00
3	194.5	3.14	4.17
4	192.6	3.23	4.34
5	190.7	3.32	4.51
6	188.8	3.41	4.68
7	186.9	3.50	4.85
8	185.0	3.59	5.02
9	183.1	3.68	5.19
10	181.2	3.77	5.36
11	179.3	3.86	5.53
12	177.4	3.95	5.70
13	175.5	4.04	5.87
14	173.6	4.13	6.04
15	171.7	4.22	6.21
16	169.8	4.31	6.38
17	167.9	4.40	6.55
18	166.0	4.49	6.72
19	164.1	4.58	6.89
20	162.2	4.67	7.06
21	160.3	4.76	7.23
22	158.4	4.85	7.40
23	156.5	4.94	7.57
24	154.6	5.03	7.74
25	152.7	5.12	7.91
26	150.8	5.21	8.08
27	148.9	5.30	8.25
28	147.0	5.39	8.42

www.newsjobmp.com

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
29	145.1	5.48	8.59
30	143.2	5.57	8.76
31	141.3	5.57 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.76 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	139.4		
33	137.5		
34	135.6		
35	133.7		
36	131.8		
37	129.9		
38	128.0		
39	126.1		
40	124.2		
अधिकतम अंक 40	124.2 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

2. महिला –

अंक (महिला)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
0	261.8 से अधिक	2.04 से कम	2.85 से कम
1	261.8	2.04	2.85
2	259.6	2.12	3.00
3	257.4	2.20	3.15
4	255.2	2.28	3.30
5	253.0	2.36	3.45
6	250.8	2.44	3.60
7	248.6	2.52	3.75
8	246.4	2.60	3.90
9	244.2	2.68	4.05
10	242.0	2.76	4.20
11	239.8	2.84	4.35

www.newsjobmp.com

अंक (महिला)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटरं)
12	237.6	2.92	4.50
13	235.4	3.00	4.65
14	233.2	3.08	4.80
15	231.0	3.16	4.95
16	228.8	3.24	5.10
17	226.6	3.32	5.25
18	224.4	3.40	5.40
19	222.2	3.48	5.55
20	220.0	3.56	5.70
21	217.8	3.64	5.85
22	215.6	3.72	6.00
23	213.4	3.80	6.15
24	211.2	3.88	6.30
25	209.0	3.96	6.45
26	206.8	4.04	6.60
27	204.6	4.12	6.75
28	202.4	4.20	6.90
29	200.2	4.28	7.05
30	198.0	4.36	7.20
31	195.8		
32	193.6		
33	191.4		
34	189.2		
35	187.0	4.36 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	7.20 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
36	184.8		
37	182.6		
38	180.4		
39	178.2		
40	176.0		
अधिकतम अंक 40	176.0 से कम		

* वजन 4.00 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे।

www.newsjobmp.com

(ख) शिथिल मापदंडों के साथ भूतपूर्व सैनिक तथा तकनीकी पद - रेडियो/आर्म्स/फ़ोटो/प्रश्नाधीन दस्तावेज़/अंगुलीचिह्न

1. पुरुष –

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
0	224.5 से अधिक	2.23 से कम	3.51 से कम
1	224.5	2.23	3.51
2	222.5	2.32	3.69
3	220.5	2.41	3.87
4	218.5	2.50	4.05
5	216.5	2.59	4.23
6	214.5	2.68	4.41
7	212.5	2.77	4.59
8	210.5	2.86	4.77
9	208.5	2.95	4.95
10	206.5	3.04	5.13
11	204.5	3.13	5.31
12	202.5	3.22	5.49
13	200.5	3.31	5.67
14	198.5	3.40	5.85
15	196.5	3.49	6.03
16	194.5	3.58	6.21
17	192.5	3.67	6.39
18	190.5	3.76	6.57
19	188.5	3.85	6.75
20	186.6	3.94	6.93

www.newsjobmp.com
www.newsjobmp.com

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
21	184.6	4.03	7.11
22	182.6	4.12	7.29
23	180.6	4.21	7.47
24	178.6	4.30	7.65
25	176.6	4.39	7.83
26	174.6	4.48	8.01
27	172.6	4.57	8.19
28	170.6	4.66	8.37
29	168.6	4.75	8.55
30	166.6	4.84	8.73
31	164.6	4.84 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.73 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	162.6		
33	160.6		
34	158.6		
35	156.6		
36	154.6		
37	152.6		
38	150.6		
39	148.6		
40	146.6		
अधिकतम अंक 40	146.6 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

www.newsjobmp.com

www.newsjobmp.com

2. महिला –

अंक (महिला)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद* (मीटर)	गोला फेंक** (मीटर)
0	305.8 से अधिक	1.50 से कम	2.70 से कम
1	305.8	1.50	2.70
2	303.6	1.58	2.85
3	301.4	1.66	3.00
4	299.2	1.74	3.15
5	297.0	1.82	3.30
6	294.8	1.90	3.45
7	292.6	1.98	3.60
8	290.4	2.06	3.75
9	288.2	2.14	3.90
10	286.0	2.22	4.05
11	283.8	2.30	4.20
12	281.6	2.38	4.35
13	279.4	2.46	4.50
14	277.2	2.54	4.65
15	275.0	2.62	4.80
16	272.8	2.70	4.95
17	270.6	2.78	5.10
18	268.4	2.86	5.25
19	266.2	2.94	5.40
20	264.0	3.02	5.55
21	261.8	3.10	5.70
22	259.6	3.18	5.85
23	257.4	3.26	6.00
24	255.2	3.34	6.15
25	253.0	3.42	6.30

www.newsjobmp.com
www.newsjobmp.com
www.newsjobmp.com

अंक (महिला)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद# (मीटर)	गोला फेंक #*(मीटर)
26	250.8	3.50	6.45
27	248.6	3.58	6.60
28	246.4	3.66	6.75
29	244.2	3.74	6.90
30	242.0	3.82	7.05
31	239.8	3.67 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	7.05 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	237.6		
33	235.4		
34	233.2		
35	231.0		
36	228.8		
37	226.6		
38	224.4		
39	222.2		
40	220.0		
अधिकतम अंक 40	220.0 से कम		

* वजन 4.00 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

www.newsjobmp.com

www.newsjobmp.com